2573
3-4-

संख्या- 103 /शि०शि०/2002.

प्रेषक,

एन०रवि शंकर,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
एवं शिक्षा निदेशक,
उत्तरांचल ।
शिविर कार्यालय-देहरादून।

मानव संसाधन विभाग देहरादून दिनांक ~~मार्च~~ 29.4,2002.

विषय:- विश्व बैंक पोषित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-III के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय हेतु पदों का सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक /1301/2001-02 दिनांक 6 फरवरी 2002 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तरांचल सभा के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा-III के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय देहरादून में निम्नांकित पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में शासनादेश निर्गत होने अथवा विधिवत् नियुक्ति तिथि जो भी बाद में हो से दिनांक 31.3.2005 तक के लिये शासनादेश में अंकित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	
	राज्य परियोजना निदेशक	18400-22400	01	पदेन शिक्षा निदेशक
	अपर राज्य परियोजना निदेशक	14300-18300	01	
	वित्त नियंत्रक	12000-16500	01	
	वरिष्ठ विशेषज्ञ (अध्यापक प्रशिक्षण)	12000-16500	01	
	वरिष्ठ विशेषज्ञ (कार्यक्रम समन्वयन)	12000-16500	01	
	प्रशासनिक अधिकारी	8000-13500	01	
	विशेषज्ञ (ई०एम०आई०एस०)	8000-13500	01	
	विशेषज्ञ (महिला एवं बालिका शिक्षा)	8000-13500	01	
	वित्त एवं लेखाधिकारी	8000-13500	01	

2	3	4
10- कम्प्यूटर प्रोग्रामर	8000-13500	01
11- कम्प्यूटर आप्रेटर	5000-8000	02
12- लेखाकार	5000-8000	01
13- वरिष्ठ लेखा परीक्षक	5000-8000	01
14- स्टेनो	5000-8000	04
15- वरिष्ठ लिपिक	4000-6000	01
16- कनिष्ठ लिपिक/टंकक	3050-4590	01
17- वाहन चालक	3050-4590	04
18- परिचारक	2550-3200	05
19- चौकीदार/स्वीपर	2550-3200	01
योग---		30

2- उक्त 30 पदों में उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद लखनऊ से स्थानान्तरित 09 पद भी सम्मिलित हैं ।

3- इन सभी पद धारकों का वेतनादि परियोजना से ही आहरित किया जायेगा तथा शासन द्वारा समय-2 पर निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों द्वारा वेतन के अतिरिक्त मँहगाई भत्ता व अन्य भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य हों , देय होंगे ।

4- उक्त पदों के सृजन पर इस शर्त के साथ सहमति दी जाती है कि सभी पद प्रतिनियुक्ति/रिडिप्लाइमेन्ट शिक्षा विभाग में स्वीकृत पदों में से तैनाती से भरे जायेंगे तथा शेष पदों पर अनुबन्ध कर संविदा पर रखे जायेंगे । किसी प्रकार का आवर्तक व्यय परियोजना बन्द होने के उपरान्त राज्य सरकार पर न पड़े ।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2001-2002 के अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01 प्राथमिक शिक्षा-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-97 बाह्य सहायतित परियोजना-9702-विश्वबैंक योजना(जिला प्राथमिक शिक्षा योजना) 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता---- के नामे डाला जायेगा ।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- 105/ वि0अनु0-4/2002 दिनांक 27-4-2002 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

N. Ravi Shankar

(एन0 रवि शंकर)

सचिव ।

संख्या- (1)/बे0शि0/2002 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, इलाहाबाद ।

2- अपर शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल, देहरादून ।

3- वित्त अनुभाग-4 ।

4- गार्ड फायल ।

आज्ञा से,

(जे0 पी0 जोशी)

अनु सचिव ।